चुनाव/अत्यावश्यक

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) इन निर्देशों को अधीनस्थ अधिकारियों को भेजने से पूर्व स्वयं भी पढे।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2024/2961 दिनांकः 22/8/2025

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) (कलक्टर) राजस्थान।

विषयः– पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2025– निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु कार्यक्रम एवं दिशा–निर्देश।

महोदय,

राज्य की 6759 ग्राम पंचायतों का 05 वर्षीय कार्यकाल जनवरी 2025 में तथा 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2025 में समाप्त हो चुका है। साथ ही 3847 ग्राम पंचायतों का 05 वर्षीय कार्यकाल सितम्बर–अक्टूबर 2025 में समाप्त हो रहा है जिनके आम चुनाव होने है। इसी संदर्भ में मा. उच्च न्यायालय द्वारा SBC W.P. No. 3422/2025 महावीर प्रसाद गौतम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्धारित समयावधि में आम चुनाव कराये जाने के संदर्भ में टिप्पणी की गई है। आम चुनावों से पूर्व मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय–3 के नियम 11 से 22 के अनुसार करवाया जाना है। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत के वार्ड, पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूचियॉ तैयार की जायेंगी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 119 (5) के अंतर्गत निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के द्वारा तैयार, पुनरीक्षित, उपान्तरित, आदिनांकित और प्रकाशित की जाएगी।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 11 एवं 19(1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा आगामी आम चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण **अर्हता तिथि 01.01.2025** के संदर्भ में करवाया जाएगा।

मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण हेतु संदर्भ तिथि 01.01.2025 के आधार पर तैयार करवाई गई विधानसभा की मतदाता सूची, जिसका अंतिम प्रकाशन 07.01.2025 को किया गया है, के डेटाबेस के आधार पर तैयार कराकर उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक रूप से सत्यापित निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन कर आगे की कार्यवाही संपादित की जाएगी।

धारा 18(1) के प्रावधानों के अनुसार निम्न तीन प्रकार की मतदाता सूचियां तैयार की जानी हैं:–

1. ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची।
2. पंचायत समिति के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची।
3. जिला परिषद के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची।

ग्राम पंचायत के वार्डवार तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर पंचायत समिति तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां तैयार की जायेंगी। इसका तात्पर्य यह है कि **पंचायत समिति/जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत के जो वार्ड आते हैं, उन सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के वार्डो की मतदाता सूची को संकलित कर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार मान ली जावेगी।** अतः पंचायत समिति/जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पृथक से मतदाता सूचियों की तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उक्त मतदाता सूचियों का प्रकाशन पृथक–पृथक किया जाना है।

A- विधान सभा की मतदाता सूची के डेटाबेस के आधार पर पंचायत की वार्डवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया :–

1. आयोग स्तर पर नियुक्त स्टेट लेवल एजेन्सी (SLA) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एडं इन्स्ट्रूमेंन्ट्स लिमिटेड **(रील) द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर (e-suchi), जो** url- esuchi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, **के माध्यम से विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूचियों** के डेटाबेस को ग्राम पंचायत के वार्डो के रूप में विभाजित किया जाएगा। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से** कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होगी। **उक्त सूचनाएं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रगणकों के माध्यम से तैयार करवाएगें।** इन सूचनाओं के संकलन के लिए **प्रपत्र ए–1 (परिशिष्ट–1) तैयार किया** गया हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र ए–1 की आवश्यकतानुसार फोटो प्रति काम में ली जा सकती हैं।

2. विधानसभा के भागों का ग्राम पंचायत के वार्डों में विभाजन करने के लिए प्रपत्र ए-1 को निम्नानुसार भरा जाना है :–
   - प्रपत्र में ऊपर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद एवं जिले का नाम लिखा जाएगा।
   - कॉलम नं. 1 क्रम संख्या से संबंधित है।
   - कॉलम नं. 2 में आपकी ग्राम पंचायत जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है, उस विधानसभा क्षेत्र की संख्या अंकित की जाएगी।
   - कॉलम नं. 3 में जिस ग्राम पंचायत से संबंधित यह प्रपत्र है, उससे संबंधित कॉलम संख्या 2 में अंकित विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या अंकित की जाएगी।
   - कॉलम नं. 4 एवं 5 में कॉलम नं 3 में अंकित विधानसभा भाग संख्या के मतदाताओं की क्रम संख्या (कहॉ से कहॉ तक) अंकित की जाऐगी। यह उस वार्ड के लिए होगा, जिसके लिए यह प्रपत्र भरा जा रहा है।
   - कॉलम नं. 6 में कॉलम नं. 4 एवं 5 में अंकित मतदाता ग्राम पंचायत के जिस वार्ड से संबंधित हैं, उस वार्ड की संख्या अंकित की जाएगी।
   - कॉलम नं. 7 में कॉलम नं. 4 एवं 5 के कुल मतदाताओं की गणना स्वतः ही हो जाएगी, जिसमें विलोपित मतदाताओं की संख्या सम्मिलित नहीं होगी।

3. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूचनाओं के संकलन/डेटा विभाजन के लिए एवं मतदाता सूची संबंधी आगामी समस्त तैयारी हेतु प्रगणकों की सहायता ली जाएगी। आयोग के पत्रांक 3597/26.11.2024 के द्वारा 07 कार्यदिवसों में प्रगणकों की नियुक्ति किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। निर्देशों की पालना में आप द्वारा प्रगणकों की नियुक्ति की जा चुकी होगी। यदि अभी तक प्रगणकों की नियुक्ति नहीं की गई है तो प्रगणकों की नियुक्ति का कार्य तुरन्त पूर्ण कर लिया जाए।

4. प्रगणकों को समुचित रूप से प्रशिक्षित करने के बाद ही सूचना संकलन एवं डेटा विभाजन का वास्तविक कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए। यह कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पंचायत समिति मुख्यालय पर ही सभी प्रगणकों को एक ही स्थान पर एकत्रित कर करवाया जाए ताकि यदि किसी विधानसभा की निर्वाचक नामावली के भाग में एक से अधिक वार्डो के मतदाता सम्मिलित हो तो प्रगणक उनके बारे में एक दूसरे को जानकारी देकर उन्हें ग्राम पंचायत के लिए अलग–अलग वार्डो में विभाजित कर लें। **यह ध्यान रखा जाए कि पंचायत के किसी वार्ड में उसी वार्ड के मतदाता सम्मिलित रहें अन्य वार्डो के मतदाता नहीं।**

5. प्रपत्र ए–1 में सूचना संकलित/डेटा विभाजित करने की प्रक्रिया में प्रगणकों को विधानसभा की **दिनांक 01.01.2025 की** अर्हता तिथि के आधार पर तैयार अद्यतन मतदाता सूची एवं अन्य समस्त दस्तावेज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणकों को उपलब्ध करवाएं जाएगें।

6. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखे कि पंचायत चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए **भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01.01.2025 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिसका अंतिम प्रकाशन 07.01.2025 को किया गया है, का उपयोग किया जाए।**

7. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं प्रगणक सर्वप्रथम विधानसभा की मतदाता सूची के किस भाग में किस–किस वार्ड के मतदाता सम्मिलित हैं, ये पता लगाया जाए। साथ ही मौके पर जाकर वार्ड की सीमाओं के आधार पर उस वार्ड में सम्मिलित

मतदाताओं का पता लगाया जाए। यदि इस कार्य में किसी तरह की कठिनाई महसूस हो तो सचिव ग्राम पंचायत व अन्य कर्मचारियों की सहायता ली जा सकेगी।

8. पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में आयोग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश पत्रांक 3599 दिनांक 26.11.2024 के द्वारा जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के बिन्दु संख्या–3 के अनुसार एक मतदान बूथ पर सामान्यतः 1100 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। पंचायत के एक वार्ड में औसतन 300–400 मतदाता होते है, अतः स्पष्ट है कि एक बूथ पर एक से अधिक वार्डो के मतदाता मत डाल सकते है। इसलिए यह ध्यान रखा जाए कि चूंकि पंचायत चुनाव में वार्ड ही निर्वाचन क्षेत्र होता है, अतः पूरा–पूरा वार्ड एक ही बूथ पर रहेगा, अर्थात् एक वार्ड को पृथक–पृथक बूथों में विभाजित नहीं किया जाएगा। इससे यदि किसी मतदान केन्द्र पर 1100 से कुछ अधिक मतदाता हो जाते हैं, तो उस पर विचार नहीं किया जाए।

9. मतदाता सूची में मतदान बूथ का क्रमांक अंकित किया जाता है। उक्त आदेश दिनांक 26.11.2024 के अनुसार मतदान बूथों की क्रम संख्या पंचायत समितिवार आवंटित की जाएगी। अतः मतदान बूथ की क्रम संख्या आवंटित करते समय यह ध्यान रखा जाऐ कि यह क्रम संख्या 1 से शुरू होकर पूरे पंचायत समिति क्षेत्र के लिए लगातार होगी।

10. प्रपत्र ए–1 को तैयार करने से लेकर प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने तक की तिथियां निम्नानुसार रहेंगीः–

क.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	प्रपत्र ए–1 को तैयार करने की अंतिम तिथि	10.09.2025
2.	प्रपत्र ए–1 को ई–सूची पर अपलोड करने की अंतिम तिथि	13.09.2025
3.	प्रपत्र ए–1 को ई–सूची पर Process करने की अंतिम तिथि	15.09.2025
4.	चैकलिस्ट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	18.09.2025
5.	चैकलिस्ट को Verify करने की अंतिम तिथि	22.09.2025
6.	संशोधित प्रपत्र–1 को तैयार/अपलोड करने की अंतिम तिथि (यदि आवश्यक हुआ तो)	23.09.2025
7.	संशोधित प्रपत्र–1 को Process करने की अंतिम तिथि	
8.	प्रपत्र ए–1 को Freez करने की अंतिम तिथि	
9.	प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	25.09.2025

11. प्रगणकों द्वारा प्रपत्र ए–1 दिनांक 10.09.2025 तक तैयार करवाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं की देख–रेख में ई–सूची **(URL https://www.esuchi.rajasthan.gov.in) पर Excel Sheet (.CSV format) में दिनांक 13.09.2025 तक अपलोड करवाएगें।** उक्त लिंक पर सूचनाओं को अपलोड करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को आवंटित यूजरनेम (Username) एवं पासवर्ड (Password) का उपयोग किया जाएगा। स्टेट लेवल एजेन्सी रीलं द्वारा प्रपत्र–ए–1 की सूचनाओं को अपलोड करने संबंधी प्रक्रिया हेतु तैयार किए निर्देश **परिशिष्ट–2** पर उपलब्ध है।

12. उक्त सूचनाओं के अपलोड करने के पश्चात् पंचायत की वार्डवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से यह जांच भी कर ली जावें कि **मतदाता सूची के मुख्य पृष्ठ पर अंकित वार्ड के परिसीमन का विवरण सही है, इसमें अन्य वार्डो का कोई स्थान सम्मिलित नहीं हैं एवं इस वार्ड का कोई भी स्थान छूटा नहीं है।** यदि किसी स्थान का सम्मिलित नहीं होना अथवा छूटा होना पाया जाता है तो सॉफ्टवयेर ई–सूची में यह सुविधा है कि आप अपने स्तर पर इसमें संशोधन कर सकते है।

13. उक्तानुसार तैयार मतदाता सूची (Check List) का **प्रिंट लेकर संबंधित प्रगणकों** द्वारा मौके पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची वार्ड के परिसीमन के अनुसार ही है। **भौतिक सत्यापन का कार्य दिनांक 22.09.2025 तक पूर्ण कर लिया जाए।** यदि भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी मतदाता का नाम पंचायत के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नहीं है अथवा किसी अन्य वार्ड के मतदाताओं का नाम सम्मिलित हो गया हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपके द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र ए–1 त्रुटिपूर्ण है। अतः ऐसी त्रुटियों को शुद्व करने के लिए संबंधित वार्ड के लिए **संशोधित प्रपत्र ए–1 तैयार कर पुनः ई–सूची**

(e-suchi) पर सूचना अपलोड कर संशोधित प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर लेवें। संशोधित प्रपत्र ए–1 तैयार कर अपलोड करने, प्रासेस कर Freez करने एवं प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने हेतु तिथियां पैरा 10 के अनुसार रहेंगी। ये सभी कार्य दिनांक 25.09.2025 तक आवश्यक रूप से पूर्ण किए जाने हैं, ताकि दिनांक 26.09.2025 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जा सके।

14. भौतिक सत्यापन के दौरान यदि ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जिनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है तो प्रगणकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार कर मौके पर ही उनको **मतदाता सूची में नाम जुडवाने के लिए प्रेरित किया जाए।** दावों व आपत्तियों के समय यदि उन व्यक्तियों द्वारा नाम जुडवाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहेगी।

15. उक्त कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जाएगा। पर्यवेक्षण में अन्य कार्यों के अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणक द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के कार्य का कम से कम क्रमशः **5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत नमूना जांच (Sample Testing)** की जाएगी।

16. मतदाता सूचियों के भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण होने के बाद संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–3** पर उपलब्ध प्रारूप में एक प्रमाण पत्र **जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर सहित** आयोग को **दिनांक 26.09.2025 तक** आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाएगा।

B. मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके बाद की तिथियां निम्नानुसार रहेगीः–

– :: निर्वाचक नामावली हेतु पुनरीक्षण कार्यक्रम :: –

क्र.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	26.09.2025 (शुक्रवार) को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वार्डों/मतदान केन्द्रों पर पठन	29.09.2025 (सोमवार) को
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	05.10.2025 (रविवार) को
4.	विशेष अभियान की तिथियाँ	29.09.2025 एवं 30.09.2025
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	12.10.2025 (रविवार) तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	24.10.2025 (शुक्रवार) तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	29.10.2025 (बुधवार) को

C. सामान्य निर्देश :–

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–18(2) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसने अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा जो संबंधित वार्ड का सामान्य तौर पर निवासी हो। सामान्य तौर पर निवासी के संबंध में स्पष्टीकरण अधिनियम की धारा–18(2) में दिये हुये हैं। निर्वाचक नामावलियों को दिनांक 01.01.2025 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार किया जाना है। अतः जिस व्यक्ति की आयु दिनांक 01.01.2025 को 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो, वह व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने का पात्र नहीं होगा।

2. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18(5) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम पंचायती राज संस्थाओं में किसी एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता है तथा धारा 18(6) के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित नहीं हो सकता है। यह सम्भव है कि पंचायत क्षेत्र से **संबंधित विधानसभा** निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम त्रुटिवश एक से अधिक बार सम्मिलित हो गया हो। ऐसे व्यक्ति का नाम उसी एक स्थान पर रहने दिया जावे, जहां के लिए वह पात्र है, तथा

शेष स्थानों से उसका नाम काट दिया जाए। **किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया जाए, जो भारतीय नागरिक नहीं है।**

3. किन्नर (Transgender) एवं लिंग रूपान्तरक (Sex Changer) मतदाता अपने आप को स्त्री अथवा पुरूष के रूप में प्रकट नहीं करना चाहें तो वे अपना लिंग 'थर्ड जेंडर' के रूप में वर्णित कर सकते हैं। उक्त प्रकार के मतदाताओं द्वारा चाहे जाने पर उनके लिंग के कॉलम में 'थर्ड जेंडर' अंकित किया जाए।

4. प्रारूप मतदाता सूचियों में मतदान केन्द्र/बूथ के विवरण का भी अंकन किया जाता है, अतः प्रारूप मतदाता सूचियों के तैयार होने से पूर्व ही मतदान केन्द्र/बूथों का भी निर्धारण कर लिये जाये। मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में **आयोग ने परिपत्र संख्या एफ 7(3)(1)पंचा/रानिआ/ 13/ 3599 दिनांक 26.11.2024 से मापदण्ड निर्धारित कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित कर दिए गए हैं।** नियम 30 के परन्तुक के अनुसार मतदान केन्द्र के लिए चयनित स्थान सामान्यतः उस पंचायत मुख्यालय के बाहर का स्थान नहीं होगा, जिसके लिए निर्वाचन कराया जाना है। अतः मतदान बूथों के चयन के समय यह ध्यान रखा जाए कि मतदान बूथ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही हो। मतदान केन्द्रों/बूथों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् आयोग को आवश्यक रूप से प्रेषित किया जावे।

5. राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 12 के अनुसार मुद्रित सूचियों से तीन प्रकार की मतदाता सूचियों का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशन अलग-अलग किया जायेगा। सूची के साथ प्रकाशित होने वाला नोटिस (**परिशिष्ट-4**) संलग्न है। ग्राम पंचायतों के वार्डो की मतदाता सूची का प्रकाशन, पंचायत कार्यालय तथा संबंधित वार्ड में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा। पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रकाशन, पंचायत समिति कार्यालय तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा। इसी प्रकार जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का प्रकाशन, जिला परिषद कार्यालय तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा।

6. निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि मतदाता सूची निःशुल्क निरीक्षणार्थ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यालय में भी उपलब्ध कराई जावे। अतः दावे/आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि पर्यन्त मतदाता सूची निरीक्षणार्थ उक्त कार्यालयों में रखी जावे।

7. दिनांक 26.09.2025 से 05.10.2025 तक दावे व आपत्तियॉ प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित है। दावे व आपत्तियॉ प्ररूप I, II & III में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उक्त अवधि में प्रस्तुत किए जाने हैं। मतदान केन्द्रों के लिये पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से मतदान केन्द्रों पर उक्त अवधि में दावे और आपत्तियॉ प्राप्त कर सकेंगे। प्रगणकों को भी पदाभिहित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

8. प्रारूप मतदाता सूची की प्रति सभी पदाभिहित अधिकारियों को उपलब्ध करवाकर 29.09.2025 को जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के वार्डो में सभायें आयोजित कर संबंधित वार्ड की निर्वाचक नामावलियों का पठन किया जायेगा। मतदाता सूची निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी, ताकि मतदाता इन निर्वाचक नामावलियों का अवलोकन कर या सुनकर नामावली की किसी प्रविष्टि के विवरण के संबंध में यदि कोई दावा/आपत्ति है, तो मतदान केन्दों पर विशेष अभियान तिथियों में अथवा 26.09.2025 से 05.10.2025 के तक किसी भी दिवस में आवेदन पत्र भरकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहीत अधिकारियों को या सीधे ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में दे सकें। अतः यह सुनिश्चित करलें कि अभियान तिथियों को पदाभिहित अधिकारियों के पास पर्याप्त मात्रा में प्ररूप I, II & III उपलब्ध रहें। आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे। पठन-पाठन के उक्त कार्यक्रम में पंचायतों के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी भी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे व क्षेत्र के लोगों को कार्यक्रम की जानकारी देंगे।

9. मतदान केन्द्रों पर दावे व आपत्तियॉ प्रस्तुत करने के लिए विशेष अभियान तिथियॉ दिनांक 29.09.2025 एवं 30.09.2025 निर्धारित की गई है। **इन दिनों पदाभिहित अधिकारी पूरे दिवस को प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे आपत्तियों के**

आवेदन प्राप्त करेंगे। शेष दिनों में आधा दिवस मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक उपस्थित रहेंगे।

10. नियम 12(2) के अनुसार दावे व आपत्तियां प्रस्तुत करने का समय 10 दिन निर्धारित है और इन्हें प्ररूप I, II & III में प्रस्तुत किया जावेगा। दावे व आपत्तियां डाक द्वारा भी भेजी जा सकती हैं। यह प्रारूप राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 में विहित है। प्राप्त दावों व आपत्तियों की गहन जांच की जाकर उनका निस्तारण किया जायेगा। **दावों व आपत्ति हेतु मतदाताओं को समुचित मात्रा में प्ररूप निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जावे। यदि मुद्रित प्ररूप उपलब्ध नहीं हो तो फोटोप्रति अथवा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र उसी पेशानी में स्वीकार किये जा सकेंगे।**

11. प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का विवरण संलग्न प्रपत्र–3, 4, और 5 (**परिशिष्ट–5, 6 एवं 7**) में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दो प्रतियों में प्रतिदिन तैयार किया जाएगा तथा उसकी प्रति कार्यालय के सूचना पट्ट पर तीन दिन तक प्रदर्शित की जावेगी।

12. दावे व आपत्तियां सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भी प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार प्राप्त दावे व आपत्तियों के बारे में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी उपरोक्त प्रपत्रों में सूचना, 2 प्रतियों में तैयार करवाकर एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा। इन प्रपत्रों में सुनवाई की तारीख़ समय और स्थान वही अंकित किया जावेगा जो कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निश्चित किया गया है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्राप्त दावे व आपत्तियों को उचित टिप्पणी के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास उसी दिन भेजेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस प्रकार प्राप्त प्रकरणों की भी नोटिस बोर्ड पर निर्धारित प्रपत्र 3, 4 व 5 में सूची तैयार कर प्रदर्शित करेगा।

13. दावों व आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम–14 में बतायी गयी है। इसके अलावा नियम–15 व नियम–16 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से कार्य करने की प्रक्रिया भी बतायी गयी है। साथ ही किसी मतदाता के संबंध में आपको सूचना प्राप्त होती है कि, उसकी मृत्यु हो गई है अथवा उसके द्वारा उस वार्ड में अपना निवास स्थान छोड़ दिया गया है तो उक्त मतदाता का नाम, संदर्भित नियमों का पालन करते हुए, विलोपन सूची में अंकित कर दिया जाएगा। मृत मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए पंचायत कार्यालय में उपलब्ध जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर से मृत व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रगणकों को भी निर्देश प्रदान किए जाएं कि वे भौतिक सत्यापन के दौरान मृत मतदाताओं की भी पहचान कर लेवें।

14. यदि किन्हीं दो या अधिक मतदाताओं के नाम व अन्य विवरण की समरूपता के आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि दोनों प्रविष्टि एक ही व्यक्ति से संबंधित है तो वह प्रारूप प्रकाशन के बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वविवेक का उपयोग कर उक्त मतदाता का नाम एक स्थान पर, जहां के लिए वह पात्र हैं, रखते हुए शेष स्थानों से विलोपित किए जाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करेगा।

15. दावों व आपत्तियों के निस्तारण एवं स्वविवेक से नाम जोड़े या हटाये जाने संबंधी प्रकरणों को निर्णित करने के पश्चात् ई–सूची पर प्रविष्टियों की फीडिंग कर वार्डवार फोटोयुक्त पूरक सूची तैयार की जायेगी। अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावली का लेजर प्रिंट (Hardcopy) लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा नियम–17 के प्रावधानों के अनुसार संलग्न प्रारूप (**परिशिष्ट–8**) में निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जावेगा।

16. **आयोग द्वारा नाम जोडने, हटाने एवं संशोधित किए जाने हेतु दावे व आपत्तियां ऑनलाईन भी प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई।** ई–सूची ऑपरेशन मैन्युअल में भी ऑनलाईन दावें व आपत्तियां प्राप्त करने एवं उनके निस्तारण की प्रक्रिया बिन्दुवार अंकित की गई है। उक्त **ऑपरेशन मैन्युअल ई–सूची पर डाउनलोड सैक्शन में भी उपलब्ध है।**

17. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के लिए आयोग की वेबसाईट www.sec.rajasthan.gov.in पर होम पेज पर उपलब्ध विकल्प Important Link में चौथे नम्बर पर उपलब्ध विकल्प Online Claim & Objection का चयन करना है। इस विकल्प के चयन के बाद तीन विकल्प (Addition, Deletion and Updation) दर्शित होगें। आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प का चयन करेगा। विकल्प के चयन के पश्चात् चयन किए गए विकल्प से संबंधित सूचनाएं भरने एवं वांछित दस्तावेजों के अपलोड करने

के पश्चात् भरी गई सूचना को 'Save' करना होगा। सूचनाएं 'Save' करने के पश्चात् आवेदक को स्क्रीन पर निम्नानुसार एक संदेश दिखाई देगा :–

"संबंधित बीएलओ (प्रगणक) सत्यापन और हस्ताक्षर के लिए जल्द ही आपसे संपर्क करेगा ऑनलाईन आवेदन केवल तभी मान्य होगा जब आप सत्यापन के दौरान ऑनलाईन आवेदन पर हस्ताक्षर करेगें"

इस संदेश के नीचे 'Submit' का विकल्प उपलब्ध होगा। आवेदक जैसे ही 'Submit' के विकल्प पर क्लिक करेगा, उसका आवेदन पत्र संबंधित ईआरओ के पास चला जाएगा, जो उसे Claim & Objection सेक्शन के अंतिम विकल्प 'On line Form' में नजर आएगा।

ऑनलाईन प्राप्त होने वाले दावों व आपत्तियों के प्रिंट लेने हेतु ई–सूची पर उपलब्ध 'Download' सेक्शन में 'e-suchi PDF Factory' विकल्प के चयन करने के बाद दर्शित होने वाले तीन विकल्पों में से तीसरे विकल्प 'Download on line form for PRI' का चयन करने के बाद वांछित आवेदन को डाउनलोड करके उनका प्रिंट लिया जा सकता है।

उक्तानुसार आवेदनों का प्रिंट लेने के पश्चात् संबंधित प्रगणक द्वारा उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के दौरान आवेदन पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर अंकित कराने के बाद प्रगणक द्वारा अपनी टिप्पणी सहित आवेदन पत्र ईआरओ कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएगें। इस प्रकार प्रगणक से प्राप्त दावों व आपत्तियों को ईआरओ द्वारा जांच कर स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकेगा। ऐसे आवेदनों को ऑफ लाईन प्राप्त आवेदनों के अनुसार ही रिकार्ड में रखा जाएगा। ऑनलाईन प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार किए जाने की स्थिति में ऐसे मतदाताओं के नाम जोडने/हटाने एवं संशोधन किए जाने हेतु पिंक पेड के माध्यम से प्रविष्टि किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

ऑनलाईन प्राप्त होने वाले प्रकरणों का भौतिक सत्यापन एवं प्रगणक की टिप्पणी सहित प्राप्त आवेदन पर ईआरओ द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात् इनका निस्तारण ई–सूची के माध्यम से ऑन लाईन ही किया जाना है। इस हेतु ई–सूची पर प्रकिया निम्नानुसार होगी:–

1. ई–सूची पर लॉगिन करने के पश्चात् 'Claim & Objection' सेक्शन के अंतिम विकल्प 'On line Form' के विकल्प का चयन करने पर स्क्रीन पर एक Window खुलेगी।
2. इस Window में वार्ड संख्या के चयन करने बाद वार्ड संख्या के नीचे तीन विकल्प 'Application for claim for Addition', 'Application for Objection-Delete' एवं 'Application for Detail correction Updation' दिखाई देगें। इन विकल्पों के सामने ही Pending, Accept एवं Reject किए गए आवेदनों की संख्या भी दिखाई देगी।
3. इसके नीचे इस window में ईआरओ को प्राप्त समस्त आवेदनों की सूची अंकित होगी। इस सूची के कॉलम संख्या–7 में आवेदनों के Status में 'Pending' लिखा हुआ Dropdown दिखाई देगा।
4. Dropdown को click करने पर 'Approve' एवं 'Reject' का विकल्प आएगा। 'Approve' विकल्प का चयन करने पर निर्वाचक नामावली में नाम स्वतः ही जुड/हट/संशोधित हो जाएगा अथवा 'Reject' विकल्प का चयन करने पर दावा खारिज हो जाएगा।
5. इस प्रकार ऑनलाईन प्राप्त होने वाले दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रकिया पूर्ण हो जाएगी।

18. आवेदक द्वारा नाम जोडने/हटाने एवं संशोधित किए जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रदान की गई उक्त सुविधा का स्थानीय स्तर पर पूर्ण एवं पर्याप्त प्रचार–प्रसार किए जाए ताकि मतदाता उक्त सुविधा का उपयोग कर सके।

19. निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित रिकार्ड अर्थात प्रारूप निर्वाचक नामावलियां, दावों/आपत्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उन पर दिया गया निर्णय और अंतिम रूप से तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों की प्रमाणित प्रति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा नियम–22 के प्रावधानों के अनुसार उसके कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

20. नियम 22 (2) के प्रावधानों के अनुसार किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की नामावली की एक पूर्ण प्रति, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित हो, जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भी उस नामावली का अगला गहन पुनरीक्षण पूरा होने तक रखी जावेगी।

21. मतदाताओं के वार्डवार आंकड़े निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के कार्यालय में एक पत्रावली/रजिस्टर खोलकर उसमें संधारित किए जाएगें। इस पत्रावली/रजिस्टर में मतदाताओं की कुल संख्या (स्त्री/पुरूष एवं अन्य), प्राप्त दावों एवं आपत्तियों के विवरण, दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण में स्वीकृत/अस्वीकृत किए गए प्रकरणों की संख्या, स्वविवेक से जोडे/हटाए गए मतदाताओं की संख्या (स्त्री/पुरूष एवं अन्य), अंकित की जाकर मय गोश्वारे के संकलित किये जायेंगे।

22. निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के पश्चात उक्त पत्रावली/रजिस्टर में संकलित आकड़ों के आधार पर सांख्यिकी सूचना के **स्टेटमेंट संख्या–1 (परिशिष्ट–9)** में सूचना तैयार करवाकर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी। इन आंकड़ों से यह पता चलेगा कि, हाल में हुई लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची की तुलना में मतदाताओं में कितनी वृद्धि और कमी हुई हैं। असाधारण (Unusal) परिवर्तन की जांच जिला निर्वाचन अधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं भी करें ताकि मतदाता सूची में कोई गलती ना रहें। यह सुनिश्चित किया जाए कि, मतदाता सूची में पात्र व्यक्ति का नाम जुड़ने से रह नहीं जाए व अपात्र का नाम जुडा/सम्मिलित नहीं रहे।

23. मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के समय भी त्रुटियॉं रह जाने की संभावना रहती है। जिला निर्वाचन अधिकारी यह व्यापक प्रचार–प्रसार करवायें कि, **यदि अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों में किन्ही पात्र व्यक्तियों के नाम रह गये हों या गलत शामिल हो गये हों या कोई अशुद्धि रह गयी हो तो, उसका उपचार नियमों में विहित प्ररूप I या II या III में आवेदन पत्र/आपत्तियॉं प्रस्तुत कर किया जा सकता है।** इस संबंध में प्रकिया नियम 20 में बतायी गई है। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूचियों के निरंतर अद्यतन (Continuous updation) हेतु नियम 20 में पर्याप्त प्रावधान हैं। नियम 20 के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वविवेक से या प्रार्थना पत्र के आधार पर नाम जोड़ने/हटाने/अंतरण करने की कार्यवाही एक विहित प्रकिया के अधीन की जा सकती है। नियम 20 के अंतर्गत निरन्तर अद्यतन प्रकिया में नाम जोड़ने, हटाने, अंतरण करने या शुद्ध करने की कार्यवाही पंचायत चुनावों के लिए नियम 23 या 58 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने की तिथि तक की जा सकती हैं। **चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से मतदान समाप्ति तक मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस प्रकार जोड़े गये, हटाये गये या शुद्ध किये गये नामों की सूची पूरक–2 के नाम से बनायी जायेगी।**

24. राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1994 के नियम 17(3) के क्रम में निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन तथा अंतिम प्रकाशन के समय नामावलियों का एक–एक सैट हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

25. कार्यक्रम का विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान की तिथियों व कार्यक्रम को समाचार पत्रों में समाचारों के माध्यम से तथा इस आशय की सूचना हेतु पम्फलेट वितरित करवाकर प्रचार/प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को कार्यक्रम की तिथियों सहित पूर्ण जानकारी देने हेतु शाला प्रधानों को निर्देशित किया जाए ताकि विद्यार्थी अपने परिवारजनों को अवगत करा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अपने–अपने स्तर पर राजनैतिक दलों/स्वयं सेवी संस्थाओं की बैठक आयोजित कर उन्हें मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के कार्य से जोड़ें ताकि सभी योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकें।

26. निर्वाचन को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए मतदाता सूचियों का शुद्व एवं अद्यतन होना आवश्यक है। प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में सही विवरण के साथ अंकित हो। इसका दायित्व प्रगणक से शुरू होकर जिला निर्वाचन अधिकारी तक का है। इस हेतु मतदाता सूची के तैयारी के हर स्तर पर पूर्ण सावधानी एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के यह निर्देश हैं कि, **जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक**

रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के स्तर से मतदाता सूचियों का निकटता एवं गहनता से पर्यवेक्षण किया जाए।

27. निर्वाचनों के समय मतदाता सूची में नाम नहीं होने, यहां तक कि कहीं–कहीं महत्वपूर्ण व्यक्तियों (VIP) के नाम तथा एक बड़े क्षेत्र यथा मौहल्ला, गली के मतदाताओं के नाम गायब हो जाने की शिकायतें मिलती हैं। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद बहुतायत में मतदाताओं द्वारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कुछ समय पूर्व हुई विधानसभा व लोकसभा चुनावों हेतु किया गया होता है। इसके लिए मतदाता सूची तैयार करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया से विभिन्न स्तर पर अपने दायित्वों का सजगता से निर्वहन करने एवं उचित पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए।

28. मतदाता सूची तैयारी, प्रारूप प्रकाशन व अंतिम प्रकाशन में स्टेशनरी व आवश्यक सामग्री क्रय हेतु प्रारंभिक बजट का आवंटन यथा समय कर दिया जाएगा।

निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के विधिक प्रावधानों एवं आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

आयोग समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से अपेक्षा करता है कि, अपने कार्य को उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार समय पर सम्पन्न करेंगे। मतदाता सूचियों में नाम छूटने या गलत नाम जुडने की व्यापक शिकायतें प्राप्त होती हैं तो आयोग राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18–बी के अन्तर्गत संबंधित दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु बाध्य होगा। इस धारा के प्रावधान को जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के ध्यान में लाए।
संलग्नः उपरोक्तानुसार परिशिष्ट

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत जारी किये गये है।

(नलिनी कठोतिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ 7(1)(2)पंचा/रानिआ/2024/2962–70 दिनांकः 22/8/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राज., जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को आमजन में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
6. उप सचिव/सहायक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
9. उप प्रबंधक, REIL जयपुर।

(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

Draft Electoral Roll Control Chart

Name of Gram Panchayat:

Name of Panchayat Samiti:

Name of Zila Parishad:

FORMAT - A1

Please use this temaplate to create electoral rolls. Please enter values in english. Please do not change or make copies of this template. Please start filling the template from Sr. No. 1

version 1.2

1	2	3	4	5	6	7
			Voter			
Sr. No.	Assembly Constituency No.	Assembly Part No.	From	To	Ward No.	Total
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

ग्राम पंचायत में वार्ड वाइज मतदाता सूची तैयार करने के लिए सोफ्टवेयर संचालन हेतु दिशा निर्देश

क्र.स.	स्टेप		विवरण
1	स्टेप-1	लॉग इन	Browser पर जाकर https://www.esuchi.rajasthan.gov .in टाइप करे | लॉग इन पासवर्ड डालकर लॉग इन करे |
2	स्टेप-2	पंचायत समिति का चयन करना	Change Preferences फॉर्म में जाकर जिला और पंचायत समिति का चयन कर Done बटन पर क्लिक करे |
3	स्टेप-3	ग्राम पंचायत का नाम निर्धारित करना	Set Name for Election फार्म को ओपन कर ग्राम पंचायत का नाम हिंदी में दर्ज करे |
4	स्टेप-4	मतदान केंद्र का नाम निर्धारित करना	Polling Station Detail फार्म को ओपन कर मतदान केंद्र मास्टर सूची की डाटा एंट्री/सत्यापन कर लेवे |
5	स्टेप-5	ग्राम पंचायत के वार्ड निर्धारित करना	Ward Create/Edit More.. फार्म को ओपन कर ग्राम पंचायत के वार्ड की मास्टर सूची की डाटा एंट्री/सत्यापन कर लेवे | कृपया वार्ड के परिसीमन के अनुसार विवरण का इंद्राज होना सुनिश्चित करे यह मतदाता सूची के मुख्य पृष्ठ पर प्रिंट होगा|
ड्राफ्ट मतदाता सूची की पीडीऍफ़ फाइल तैयार करना			
6	स्टेप-6	Format-A1 तैयार कर अपलोड करना	Draft Voter List->Upload A/A1 document फार्म को ओपन कर ग्राम पंचायत को चुनकर Format-A1 (पूर्व में Format-C1 अंकित था) की Excel (.CSV format) अपलोड करे | Format-A1 की Excel फाइल Download Section से डाउनलोड की जा सकती है |
7	स्टेप-7	Draft Voter List सत्यापन करना	Draft Voter List-> View Draft Voter List & Remaining Voter Summary के माध्यम से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सत्यापन के लिए देख सकते है | डाउनलोड सेक्शन से eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड कर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की चेकलिस्ट PDF फाइल डाउनलोड सत्यापन के लिए की जा सकती है | इस समय डाऊनलोड की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मे चेकलिस्ट शब्द प्रिंट होगा|
8	स्टेप-8	ग्राम पंचायत को फ्रीज करना	Draft Voter List->freeze draft ward summary फार्म ओपन कर ग्राम पंचायत का चयन करे | चेकबॉक्स को चेक करने के बाद Freeze draft roll बटन पर क्लिक कर ड्राफ्ट रोल फ्रीज करे |
9	स्टेप-9	ग्राम पंचायत का कम्पलीशन सर्टिफिकेट कन्फर्मेशन	Draft Voter List->Draft roll completion certificate फार्म ओपन कर ग्राम पंचायत का चयन करे |चेकबॉक्स को चेक करने के बाद confirm बटन पर क्लिक कर ड्राफ्ट रोल वेरीफाई करे |
10	स्टेप-10	ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पीडीऍफ़ फाइल डाउनलोड करना	डाउनलोड सेक्शन से eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड करे | ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की PDF फाइल (With Photo, Without Photo) डाउनलोड करे | इस समय डाऊनलोड की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मे चेकलिस्ट शब्द प्रिंट नही होगा |
11	स्टेप-11	ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पीडीऍफ़ फ़ाइल वेब साईट पर अपलोड करना।	डाऊनलोड की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को पूर्ण रूप से चेक करने के बाद eSuchi PDF Factory Software मे उपलब्ध अपलोड सेक्शन मे जाकर पीडीऍफ़ फ़ाइल को अपलोड करे। Note : यह सुनिश्चित कर ले की पीडीऍफ़ फ़ाइल का नाम वही है जो की डाउनलोफ़ के समय था, नाम मे बदलाव करने पर पीडीऍफ़ फाइल अपलोड नही होगी।
12	स्टेप-12	मतदाता का Section Address सही करना	अगर जरूरत है तो मतदाता सूची में प्रिंट होने वाले Section Address में बदलाव Setup->Update/Delete Address फार्म ओपन कर किया जा सकता है |

ग्राम पंचायत में वार्ड वाइज मतदाता सूची तैयार करने के लिए
सोफ्टवेयर संचालन हेतु दिशा निर्देश

क्र.स.	स्टेप		विवरण
Supplement /Final मतदाता सूची की पीडीएँफ़ फाइल तैयार करना			
13	स्टेप-13	Format-B1 तैयार कर अपलोड करना	अगर मतदाता को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की जरूरत है तो Format-B1 (पूर्व में Format-E1 अंकित था) की Excel (.CSV format) तैयार कर अपलोड करे। अपलोड के पश्चात Format-B1 को process कर लेवे। Format-B1 की Excel फाइल Download Section से डाउनलोड की जा सकती है। NOTE : FORMAT-B1 मे मतदाता की क्रम संख्या DRAFT VOTER LIST की क्रम सख्या होगी। ECI वोटर लिस्ट की क्रम संख्या FORMAT-B1 मे उपयोग नही करे।
14	स्टेप-14	नए मतदाता को जोड़ना / संशोधन करना	अगर नए मतदाता को जोड़ने की जरूरत है तो Claim-Objection -> Add New Voter का फार्म ओपन कर जोड़ लेवे। अगर नए मतदाता में संशोध की जरूरत है तो Claim-Objection ->search/modify new voter का फार्म ओपन कर संशोधन कर लेवे।
15	स्टेप-15	फाइनल वोटर लिस्ट मतदाता में संशोधन /डिलीट करना	अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मतदाता में संशोधन /डिलीट की जरूरत है तो Claim-Objection ->update delete voter का फार्म ओपन कर संशोधन /डिलीट कर लेवे।
16	स्टेप-16	Accept/Reject ऑनलाइन एप्लिकेशन	eSuchi PDF factory से ऑनलाइन एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के पश्चात Field verification होने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत Claim-Objection -> online Forms मे जाकर ऑनलाइन एप्लिकेशन को Accept/Reject करे। Accept होने पर एप्लिकेशन के मतदाता सप्लिमेंट/फ़ाइनल मतदाता सूची मे जुड़ जाएंगे।
17	स्टेप-17	ग्राम पंचायत को फ्रीज करना	Final Voter List->freeze final roll ward summary फार्म ओपन कर ग्राम पंचायत का चयन करे।चेकबॉक्स को चेक करने के बाद Freeze final roll बटन पर क्लिक कर फाइनल रोल फ्रीज करे।
18	स्टेप-18	ग्राम पंचायत का कम्पलीशन सर्टिफिकेट कन्फर्मेशन	Final Voter List->Final roll completion certificate फार्म ओपन कर ग्राम पंचायत का चयन करे।चेकबॉक्स को चेक करने के बाद confirm बटन पर क्लिक कर final रोल वेरीफाई करे।
19	स्टेप-19	फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट की पीडीएँफ़ फाइल डाउनलोड करना	डाउनलोड सेक्शन से eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड करे। लॉग इन कर फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट की PDF फाइल (With Photo, Without Photo) डाउनलोड करे। इस समय डाऊनलोड की गई फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट मे चेकलिस्ट शब्द प्रिंट नही होगा।
20	स्टेप-20	फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट की पीडीएँफ़ फ़ाइल वेब साईट पर अपलोड करना।	फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट को पूर्ण रूप से चेक करने के बाद eSuchi PDF Factory Software मे उपलब्ध अपलोड सेक्शन मे जाकर पीडीएँफ़ फ़ाइल को अपलोड करे। Note : यह सुनिश्चित कर ले की पीडीएँफ़ फ़ाइल का नाम वही है जो की डाउनलोफ़ के समय था, नाम मे बदलाव करने पर पीडीएँफ़ फाइल अपलोड नही होगी।
21	स्टेप-21	मतदाता का Section Address सही करना	अगर जरूरत है तो मतदाता सूची में प्रिंट होने वाले Section Address में बदलाव Setup->Update/Delete Address फार्म ओपन कर किया जा सकता है।

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

पंचायत समिति .... जिला ....

प्रमाण – पत्र

मैं .... , निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पंचायत समिति .... प्रमाणित करता हूँ कि पंचायत समिति .... में सम्मिलित समस्त ग्राम पंचायतों के समस्त वार्डो की तैयार कराई गई प्रारूप मतदाता सूची इनके परिसीमन के अनुसार सही है। प्रारूप मतदाता सूची में अंकित सभी मतदाताओं का भौतिक सत्यापन प्रगणकों द्वारा किया गया है। मेरे स्वयं के द्वारा .... प्रतिशत एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा .... प्रतिशत भौतिक सत्यापन के कार्य की नमूना जॉच कर ली गई है।

(अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर)
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
न.पा. / न.प. / न.नि. ....

प्रतिहस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम)
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)
जिला ....

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ....(स्थान)

निर्वाचक नामावली के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

(पंचायत सर्किल के वार्डों / पंचायत समिति / जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र)

जिला परिषद्../पंचायत समिति../

पंचायत सर्किल ....

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अन्तर्गत तैयार की गई उक्त पंचायत सर्किल के वार्ड संख्यांक ... ./पंचायत समिति /जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक ....की मतदाता सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

यदि कोई व्यक्ति इस सूची में नाम जुडाना चाहे, या इस सूची में सम्मिलित किसी नाम पर आपत्ति करना चाहे या विद्यमान प्रविष्ठियों के किसी विवरण मे संशोधन करवाना चाहे तो वह इस प्रकाशन की तारीख से दिनांक...................को 3 बजे दोपहर तक लिखित आवेदन निर्धारित प्ररूप में दावें/आपत्ति निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।

ऐसे दावों व आपत्तियों की सुनवाई तारीख ....को................बजे निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में या .. ..(स्थान) पर होगी।

यह सूची निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय एवं पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् के कार्यालय में कार्यालय समय में निःशुल्क निरीक्षण की जा सकती है।

स्थान : ....

तारीख :..

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

हस्ताक्षर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्रपत्र–3

मतदाता सूची में नाम सम्मलित करने के लिए प्रारूप–1 में प्राप्त आवेदनों (दावों) की सूची

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्यांक	दावेदार का नाम	पिता / पति / माता का नाम	निवास स्थान का पता	जिस वार्ड के लिये दावा प्रस्तुत किया गया		सुनवाई की तारीख, समय और स्थान *
					पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निश्चित सुनवाई की तारीख, समय व स्थान।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्रपत्र–4

मतदाता सूची में नामों को सम्मिलित करने के विरूद्ध आक्षेप करने के लिये प्रारूप–2 में प्राप्त आवेदनों की सूची

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्यांक	आक्षेपकर्ता का विवरण		आक्षेपित व्यक्ति का ब्यौरा					सुनवाई की तारीख, समय और स्थान *
		नाम	पता	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	क्रम संख्या	पूरा नाम	पिता / पति / माता का नाम	
1	2	3		4	5	6	7	8	9

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निश्चित सुनवाई की तारीख, समय व स्थान।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्रपत्र–5

मतदाता सूची में प्रविष्टियों की विशिष्टियों को सही करने के लिए प्रारूप–3 में प्राप्त आवेदनों की सूची

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्या	आपत्तिकर्ता निर्वाचक का पूरा नाम	प्रविष्टि का विवरण			आपत्ति की प्रकृति	सुनवाई की तारीख, समय और स्थान *
			पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	क्रम संख्या मतदाता सूची		
1	2	3	4	5	6	7	8

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निश्चित सुनवाई की तारीख, समय व स्थान।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी...(स्थान)

निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की सूचना

(पंचायत सर्किल के वार्डों / पंचायत समिति / जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र)

जिला परिषद्../पंचायत समिति../ पंचायत सर्किल..

एतद्द्वारा लोक साधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त पंचायत सर्किल के वार्ड संख्यांक ..../पंचायत समिति /जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक ....की मतदाता सूची के प्रारूप में किये गये संशोधनो की सूची राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के उपबन्धो के अनुसार तैयार हो गई है और उक्त सूची की एक प्रति संशोधनों की उक्त सूची सहित प्रकाशित कर दी गई है और मेरे कार्यालय/पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

स्थान : ....

तारीख :...

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम एवं मोहर)

PANCHAYAT GENERAL ELECTIONS, 2025

STATEMENT SHOWING DRAFT VOTERS, CLAIMS AND OBJECTIONS, DISPOSAL THEREOF AND FINAL VOTERS

NAME OF DISTRICT :-

NAME OF PANCHAYAT SAMITI :-

NAME OF GRAM PANC-HAYAT	NO. OF VOTERS IN THE WARD IN UPDATED ASSEMBLEY VOTER LIST			NO. OF VOTERS IN DRAFT PUBLICATION			CLAIMS AND OBJECTIONS									SUO-MOTO ADDITIONS AND DELETIONS OF NAMES BYE ERO.		VOTERS AT FINAL PUBLICATION			% INCREA-SES IN FINAL VOTERS LIST (COL. N0.19) AS COM-PARED TO (COL. 2)
							RECEIVED			DISPOSAL											
										CLAIMS		OBJECTION FOR DELETIONS		OBJECTION FOR CORRECTIONS							
	TOTAL	MALE	FEMALE	TOTAL	MALE	FEMALE	CLAIMS	OBJECTION FOR DELETION	OBJECTION FOR CORRECTI ONS IN AN ENTRY	ACCEPT ED	REJE CTE D	ACC EPT ED	REJEC TED	ACCE PTED	REJE CTED	ADDIT IONS	DELE TIONS	TOTAL	MALE	FEMA LE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
TOTAL																					